न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 04 / 2025

जीसीएमएस नं.:– 2025 / 38

धर्मपाल सिह पुत्र स्व0 श्री रन सिंह उम्र करीब 37 वर्ष जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरेह मोरी तहसील व जिला धौलपुर

—— ————————प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार धौलपुर एवं जिला धौलपुर

——— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 एल0आर0 एक्ट0

उपस्थितिः– श्री धीरज शर्मा वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार,

दिनांक – 15.07.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया कि उसका नाम जमाबंदी में उपनाम मोनू अंकित हो गया है। अतः मेरा नाम जमाबंदी में धर्मपाल सिंह पुत्र श्री रनसिंह दर्ज करवाया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, जन आधार जमाबंदी की प्रमाणित प्रति एवं अन्य पहचान संबंधित दस्तावेज आधारकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंकतालिका, इत्यादि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर से तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 1684 दिनांक 28.04.2025 से रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि राजस्व ग्राम बरेह मोरी में स्थित आराजी खसरा नंबर 110, 217, 238, 359, 53, 952, 953 कुल किता 07 रकबा 3.9395 है0 में वादी हिस्सा 1/90 का सह खातेदार नाबालिग सोनू पुत्र रनसिंह जाति ठाकुर साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामांतकरण खोलते समय वादी का नाम मोनू दर्ज रिकार्ड हो गया है जबकि वादी का वास्तविक मुताविक दस्तावेज के नाम धर्मपाल है। जिसके पिता का नाम रन सिंह है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी धर्मपाल सिंह को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पहचान संबंधित दस्तावेजों में धर्मपाल सिंह पुत्र रनसिंह निवासी बरेहमोरी दर्ज रिकार्ड है। मूल निवास प्रमाण पत्र में मोनू सिंह उर्फ धर्मपाल सिंह निवासी बरेह मोरी को दोनों नामों से एक ही व्यक्ति होना अंकित किया है। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट में भी मोनू सिंह उर्फ धर्मपाल सिंह एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट में नाम शुद्ध किया जाना उचित

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

बताया है। अतः हम तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट, संलग्न दस्तावेजों एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम बरेहमोरी तहसील धौलपुर के राजस्व ग्राम बरेह मोरी में स्थित आराजी खसरा नंबर 110, 217, 238, 359, 53, 952, 953 कुल किता 07 रकबा 3.9395 है0 में खातेदार मोनू पुत्र रनसिंह जाति ठाकुर साकिनदेह खातेदार का नाम मोनू के स्थान पर धर्मपाल सिंह शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)